AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

चीन–पाक के आतंकवाद निरोधक कानून व भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. संगीता शर्मा
सहायक प्राध्यापक
विधि विभाग
ग्वालियर विधि महाविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध सार

वर्तमान समय में समस्त विश्व में कानून व्यवस्था एवं राष्ट्रीय शांति व स्थायी सुरक्षा बनाये रखने के लिये सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत से निरन्तर हो रही आतंकवादी घटनाओं के कारण यदि जन हानि व धन हानि के आंकड़ो का विश्लेषण किया जाये तो समस्त विश्व में सबसे बड़ा नुकसान आतंकवादी घटनाओं के कारण ही हो रहा है। स्टॉक होम स्थित पीस रिसर्च सेन्टर के आंकड़ो के अनुसार प्रत्येक वर्ष समस्त विश्व में 20 खरब रूपये से भी ज्यादा की संपति आतंकवादी हमलों के चलते नष्ट हो जाती है। विश्व के अनेको राष्ट्रो ने अपने शत्रु देश के विरूद्ध अप्रत्यक्ष हमला करने को उदेद्श्य बनाकर आतंकवादी संगठनों को राजनैतिक शरण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है। यहॉ एक और तथ्य यह भी है कि धार्मिक आधार पर भी आतंकवादी संगठनों को सहायता दी जा रही है। भारत को अपने दो प्रमुख पड़ोसी राष्ट्रों चीन व पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद निरोधक द्वारा उपयोग में लाये जा रहे आतंकवाद निरोधक कानूनों व अन्य उपायों का विश्लेषण करते हुये आतंकवाद विरोधी कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द

भारतीय कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक कानून, दक्षिण एशिया एन्टी टेरेरिज्म कोर्ट (ATC).

27 दिसम्बर 2015 को चीन ने अपने पहले आतंकवाद निरोधक कानून से लागू कर दिया। नेशनल पिपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्टेडिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से चीन के पहले उस आतंकवाद निरोधक कानून को लागू कर दिया है जिसे वर्तमान सरकार से पूर्व सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मंजूरी देकर आगे बढ़ाया था। इसे लागू करते समय चीनी सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' में सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी की गई कि 'चीन का प्रथम आतंकवाद निरोधक कानून इस परिस्थिति में आया जब पेरिस में आतंकादी हमले हो रहे है। मिस्त्र के ऊपर रूसी विमान को मार गिराया है, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूहों द्वारा लोगो की हत्या की जा रही है और विशेष रूप से चीन के सिनझियांग प्रान्त में अलकायादा नामक आतंकी संगठन सक्रिय होने का प्रयास कर रहा है, परिणाम स्वरूप चीनी और विश्व शांति दोनों की स्थापना के उद्देश्य से इस कानून का गठन किया जा रहा है।'

इस कानून के अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किये गये हैं:

1. चीन में निवासरत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय 'ऊईघूर' पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे आव्रजन या प्रवचन नहीं कर सकते हैं।

2. समस्त चीन में कोई भी इस्लाम धर्म का अनुयायी अपने धर्म का किसी भी प्रकार का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता है।
3. किसी भी इस्लाम धर्म का अनुयायी अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकता है।
4. इस्लामिक मूवमेंट और जेहाद के झंडे वाली आकृतियां जिसमें बंदूकधारी पुरुष और नकाबपोश महिलाएं थीं तथा साथ में लिखे हुए लेख ये लोगों की जेहाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उईधूर लोगों ने डाउनलोड किया और 62 लोगों के वीचेट ग्रुप में सार्वजनिक किया ऐसा करने पर अब्दुल सेमित हलीक नामक व्यक्ति जो उईघूर नेता है व उसका सहयोग रबिया कादिर को चीन के द्वारा गिरफ्तार करके आजीवान कारावास की सजा दे दी गई।
5. इस कानून के अंतर्गत पुलिस को उन व्यक्तियों पर दूरगामी प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी दिया गया, जिस पर उन्हें आतंकवाद में शामिल होने का शक है। भले ही उसके खिलाफ सबूत हो या न हो।
6. यदि एक बार पुलिस किसी को आतंकी गतिविधि का दोषी मान लेगी तो उसे बिना पुलिस की अनुमति के निवास स्थान बदलने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार नहीं होगा।
7. पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का तत्काल ही पहचान पत्र और पासपोर्ट आदि जब्त कर लेगी।
8. आतंकवाद निरोधक कानून का कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है। यह किसी भी प्रतिबंध को लागू करने, वापस लेने मनमाने ढंग से प्रतिबंधों को अनिश्चित काल तक लगाने का अधिकार पुलिस को देता है।
9. गिरफ्तारी के उपरान्त यदि पुलिस की अनुमति होगी, तभी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने तक परिवार के सदस्य और वकील अपराधी से मिल सकेंगे।
10. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 40 के अनुसार एकांत जेल में रखा जावेगा, जहाँ उसे किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होगी, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया के सार्वजनिकरण से बचा जा सके।
11. बरी होने की स्थिति में रिहाई से पहले यदि पुलिस को यह महसूस होता है कि वह व्यक्ति आतंकवाद के द्वारा देश के लिए खतरा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में बरी होने के बावजूद भी संदिग्ध को रिहा नहीं किया जावेगा और उच्च स्तर पर केस की पुनः सुनवाई की जावेगी।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट होता है कि समस्त विश्व में अपने कठोरतम कानूनों के लिए जाने वाले चीन में भी आतंकी संगठन अलकायदा अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ही चीन ने संभवतः विश्व का सर्वाधिक कठोर आतंकवाद निरोधक कानून लागू किया है।

पाकिस्तान का आतंकवाद निरोधक कानून

एन्टी टेरेरिज्म एक्ट 1997– आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए 1997 में 'आंतकवाद विरोधी अधिनियम 1997' के नाम से पूरे पाकिस्तान के लिए कानून बना दिया साथ ही पाकिस्तान ने एंडी टेरेजिम्म कोर्ट आतंकवाद निरोधक न्यायालय का भी गठन कर दिया। आतंकवाद निरोधक कानून 1997 के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:

1. धारा 13 के तहत एक आतंकवाद विरोधी अदालत केवल आतंकवाद के प्रकरणों की सुनवाई के लिए स्थापित की जाएगी।
2. आतंकवादी जांच का अर्थ होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के कृत्यों और उद्देश्यों की जांच करना जिनका उपयोग किसी भी प्रकार से आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता है।
3. आतंकवादी सम्पत्ति को राजसात किया जाना, यहाँ आतंकवादी सम्पत्ति का आशय यह तय किया गया कि आतंकवाद फैलाने के उद्देश्यों के लिए किये गये किसी भी कार्य के बदले धन लेना या देना अथवा सम्पत्तियाँ चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त हो, चल हो अथवा अचल हो, चाहे कोई भी दस्तावेज हो अथवा उपकरण, शेयर

अथवा कोई भी बैंक का वित्तीय प्रकार हो इन सभी में से किसी भी प्रकार का उपयोग आतंकी कार्य के लिए किया जाता है तो उसे आतंकवादी सम्पत्ति मानकर राजसात कर लिया जावेगा।

4. आतंकवाद को रोकने के लिए पुलिस के अतिरिक्त सशस्त्र बलों अथवा नागरिक शस्त्र बलों का उपयोग कर सकेगा।
5. समाज में भय या असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करने जैसा कोई भी कार्य करने पर इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके सजा दी जावेगी।
6. किसी भी प्रकार के आंतकवादी कृत्य के लिए धारा 4(1)6 के अंतर्गत यदि अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे सजा ए मौत। यदि जीवन को खतरे डालने का कार्य करता है तो आजीवन कारावास अथवा शारीरिक क्षति पहुँचाता है तो 10 वर्ष की सजा। यदि सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो 10 वर्ष की सजा, अपहरण करता है तो मौत की सजा अथवा आजीवन कारावास के साथ–साथ प्रतिबद्ध आतंकवाद अधिनियम की धारा (6)(2)(E)(e)(f.g,h,n) दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास जो कि 14 वर्ष से कम का नहीं होगा का दंड दिया जावेगा।
7. साम्प्रदायिक घृणा फैलाने का प्रयास करने अथवा सम्भावना के दोषी को 10 वर्ष का कारावास दिया जावेगा।
8. पांच 5, 11 (A) के अंतर्गत धारा 6(1) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित किसी भी संगठन के साथ कृत्य में भाग लेता है, तैयारी करवाता है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है अथवा विचारधारा रखता है उसे भी आजीवन कारावास अथवा 10 कैद की सजा दी जावेगी।
9. ऐसा कोई भी संगठन जो आतंकी गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उसका कार्यालय सील कर दिया जाएगा समस्त सामग्री जब्त कर ली जाएगी, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं या सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उन्हें पासपोर्ट नही दिया जाएगा, कोई भी बैंक खाता नहीं खोलेगा व ऋण भी नहीं देगा, यदि हथियार या ड्राइविंग लाइसेंस पूर्व से जारी है तो उसे रद्द करते हुए उसे निकटतम थाने में जब्त कर लिए जावेगा और पाकिस्तान शस्त्र अध्यादेश 1965 WPXX के अंर्तगत कोई भी नया लाइलेंस नहीं बनाया जाएगा।
10. किसी भी व्यक्ति को इस कानून में गिरफ्तार करने के तीन दिन के अंदर जेल भेजा जाएगा तथा उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा उसी स्थिति में जेल से छोड़ा जायेगा जब न्यायालय को लगता है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 के तहत पैरोल दिये जाने पर प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आतंकवाद निरोधक अदालत परवेज मुशरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के तख्ता पलट के कुछ समय पूर्व पाकिस्तानी आतंकवाद निरोधक कानून के प्रभावी अदालतें (Anti Terrorism Court) प्रणाली को पूरे पाकिस्तान के लिए लागू कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी आतंकी ट्रायल के लिए इन कोर्टों का ही उपयोग किया जाना तय किया गया।

पाकिस्तानी आतंकवाद निरोधक कानून के पालन में सबसे बड़ी कमी यह है कि इटरसिटी इंटेलीजेंट (आईएसआई), संघीय जांच एजेंसी, खुफिया ब्यूरो और पुलिस ये किसी भी प्रकरण में संयुक्त रूप से चार्जशीट दाखिल न करते हुए अपने–अपने स्तर पर चार्जशीट प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आरोपी लगाए गये आरोपों में समानता नहीं होती है। परिणामस्वरूप दोषी को दंडित किया जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अनेकों बार तो ATC में आरोपों का सामना किये बिना ही आरोपियों को बरी करना पड़ जाता है।

उपरोक्तानुसार यह सामने आता है कि पाकिस्तान में विभिन्न जांच एजेंसियों एवं ACT में सही समन्वय न होने की स्थिति में दोषियों को दंडित किये जाने का प्रतिशत बहुत कम है।

वैसे तो आतंकवाद की समस्या अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर काफी व्यापक है फिर भी भारत के आतंकवाद निरोधक प्रयास के परिपेक्ष्य में चीन–पाक के आंतकवाद निरोधक कानूनों का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति व हमारे पूर्व पड़ोसी राज्य चीन के आतंकवाद निरोधक कानून

की समीक्षा की गई चीन ने स्वयं के लिए तो अत्यधिक कठोर आतंकवाद निरोधक कानून कर रखे हैं, किंतु जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के निरोध का मामला हो तो चीन न तो अमेरिकी पेट्रियोट एक्ट से अपनी सहमति दर्शाता है और ना ही वह भारत के आतंकवाद निरोधक प्रयासों को अपना समर्थन देता है। विभिन्न अवसरों पर यह सामने आया है कि चाहे अजहर मसूद हो या जक्यूर रहमान लखवी या हाफिज सईद को अर्न्तराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का मामला हो चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए सदैव अड़ंगा डाला है साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चीन ने ही अपनी वीटो शक्ति उपयोग करके पाकिस्तान अथवा उपरोक्त आतंकियों को अर्न्तराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से रोका है, जबकि UNO में सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 देश इन्हें अंर्तराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए सहमत थे। निश्चित रूप से चीन का यह दोहरा व्यवहार भारतीय आतंकवाद निरोधक प्रयासों के लिए समस्या एवं बाधा के रूप में बार–बार सामने आ जाता है।

पाकिस्तानी आतंकवाद निरोधक कानून के अंतर्गत नियुक्त एन्अी टेरेजिम्म कोर्ट (ATC) आतंकवाद निरोध अदालतें भी विभिन्न जांच एजेंसियों और अदालतों के बीच समन्वय न होने के कारण आतंकियों को सजा नहीं मिल पा रही है। फलस्वरूप विश्व के तमाम प्रमुख आतंकी संगठनों लश्कर–ए–तोयबा, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत–उल–अंसार आदि संगठनों ने अपने आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र पाकिस्तान में ही स्थापित कर रखे हैं जो कि पाकिस्तानी आतंकवाद निरोधक कानून और अदालत की इस कमजोरी का लाभ भलीभांति उठा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है।

निष्कर्ष

उपरोक्तानुसार विश्लेषण के उपरान्त हम यह कह सकते हैं कि विश्व के वे राष्ट्र जिनके आंतकवाद निरोधक कानून प्रभावी हैं लगभग उन सभी देशों में एक राष्ट्रीय कानून ही लागू किया गया जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए उन्हें अध्यतन भी निरंतर बनाये रखा गया है। इसकी तुलना में भारत में विभिन्न आतंक निरोधक कानून समय–समय पर लागू किये गये और कुछ समय के अंतराल के उपरान्त समाप्त भी कर दिये गये। अतः हमें इस बात की अधिक आवश्यकता है कि हम भले ही एक आतंकवाद निरोधक कानून लागू रखें किन्तु उसे समयानुसार परिवर्तित करते हुए प्रभावी एवं सार्थक बनाये रखने के उपाय भी निरंतर करते रहे।

संदर्भ सूची

1. कांफ्लिक्ट एंड दि प्रोसपेक्ट्स ऑफ एन्ड्यूरिंग पीस, हबी बुल्लाह वजहत, माइ कश्मीरः वंगार्ड बुक्स, 2009
2. एमी, चुवा (2023) *वर्ल्ड ऑन फायरः हाउ एक्सपोरटिंगफ्री मार्केट डेमीक्रेसी बीड्स एथिनिक हेट्रेडएंड ग्लोबक इन्स्टेबिलिटी,* एंकर बुक्स, न्यूयार्क।
3. देसाई, जतिन (2020) *इंडिया एंड यूएस ऑन टेर्ररिज्म,* कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

——==00==——